

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्थाई0/कोटा/वी-2/2018/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सीधी भर्ती-2013)/2016/60 दिनांक 10.02.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से स्थाई/नियमित करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल 11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	सुनिल कुमार मेघवाल	कोटा	01.01.87	12.02.16	11.02.18	12.02.18
2	कुसुमलता	कोटा	15.03.88	12.02.16	11.02.18	12.02.18
3	बबीता रानी	कोटा	23.02.82	11.02.16	10.02.18	11.02.18
4	ज्योति मीणा	कोटा	20.01.85	12.02.16	11.02.18	12.02.18
5	शिल्पी परिडवाल	कोटा	12.01.89	15.02.16	14.02.18	15.02.18
6	इमरान बानो	कोटा	14.08.89	12.02.16	11.02.18	12.02.18
7	पूनम कुमारी	कोटा	14.01.87	21.03.16	20.03.18	21.03.18
8	गोपाल सिंह जोधाणा	कोटा	05.07.80	21.03.16	26.03.18	27.03.18
9	मुकेश कुमार मीणा	कोटा	15.07.84	12.02.16	11.02.18	12.02.18
10	पायल मीणा	कोटा	30.07.87	11.02.16	10.02.18	11.02.18

नोट :- कम संख्या 8 पर अंकित कार्मिक का 36 दिवस असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 06 दिवस परिीक्षाकाल की अभिवृद्धि की गई है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 8/10/2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्थाई0/कोटा/वी-2/2018/1352

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन कोटा।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्या, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज राज0।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.।
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज0।
5. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर